# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
## पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—235/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/235

| अपीलाण्ट :— | बनाम | रेस्पोडेन्ट :— |
| --- | --- | --- |
| तेजसिंह पुत्र श्री नाथुसिह जाति राजपूत निवासी आहोर तहसील आहोर जिला जालोर | | 1. बाबुसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह जी कौम रावणा राजपुत, निवासी आहोर जिला जालोर।<br>2राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आहोर जिला जालोर। |

न्यायालय अति. संभागिय आयुक्त पाली (राज.)

**अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम1956 बनाराजगी निर्णय दिनांक 26.10.2017 पारित द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर राजस्व अपील संख्या 11/2017 अनवान तेजसिंह बनाम बाबुसिह**

उपस्थिति :—
1. श्री तेजसिह अपीलाण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांक:— 29.11.2024

1. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 11/2017 बअनवान तेजसिह बनाम बाबूसिह वगैरा निर्णय दिनांक 26.10.2017 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यहअपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे।

3. बहस अपीलांट की सुनी गई।

4. अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टने अभिकथन कर निवेदन किया कि —

अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दिनांक 29.12.2016 व 26.10.2017 कानूनी व वाक्यात के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

29.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट के प्रकरण को तहसीलदार आहोर द्वारा आदेश दिनांक 29.12.2016 तथा माननीय जिला कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 26.10.2017 पारित किया है गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के अधिकारों पर गौर तक नहीं किया, जो कानून व वाक्यात के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 03.09.2015 को निगरानी स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने पर तहसीलदार आहोर को प्रतिप्रेषित किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेरके आदेश की पालना किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को फायदा देने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किये है। अपीलान्ट ने स्पष्ट कथन किये कि अपीलान्ट द्वारा उठाये गये आधारों को जिस बिन्दु पर दोनो न्यायालयो ने कोई मत पारित नहीं किया न ही अपीलान्ट द्वारा वर्णित आधारों पर गौर किया।

अपीलान्ट ने स्पष्ट कथन किये थे कि तहसीलदार आहोर के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स ने अशोक सिंह पुत्र रणछोडसिंह का शपथपत्र नोटेरी से मिलीभगत कर फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया था। उस बाबत् अशोकसिंह ने उसकी शिकायत भी तहसीलदार आहोर से डाक द्वारा की थी। उक्त शिकायत की जांच हेतु भू–निरीक्षक को भी पत्र भेजा गया था। इसी प्रकार एक शिकायत नोटेरी चन्दसिंह व पुलिस अधीक्षक जालोर को भी भेजी गई थी। उक्त शिकायत पर तहसीलदार द्वारा आरआई को जांच हेतु प्रेषित किया परन्तु उक्त जांच पर किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही कर तहसीलदार को पुन प्रेषित नहीं किया एवंम ना ही तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इन फर्जी एवंम कूटरचित हस्ताक्षर शपथपत्र बाबत् किसी प्रकार का कोई मत प्रतिपादित किया एंवम ना ही किसी तरह से किसी प्रकार का उल्लेख यानिकि उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर विधिक दृष्टिकोण नही अपनाया गया। समस्त तर्को का वर्णन तहसीलदार आहोर ने अपने आदेश में पारित नहीं किया तथा ना ही प्रथम अपील न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर गौर किया। अपीलान्ट ने वसीयत को कानूनन साबित किया है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट की माता मेथी बाई स्वंय ने एक 100/– रूपये का स्टाम्प पर दिनाक 12.01.2012 को वसीयत लिखीथी। जिसे राजस्व मण्डल अजमेर ने भी वैध मानते हुए वसीयत पर गुणावगुण से निर्णय पारित करने का आदेश दिया था।

अपीलान्ट द्वारा अशोकसिंह व मदन सिंह के बयान हेतु तहसीलदार को कई बार आग्रह किया। लेकिन जानबूझकर उनके बयान नही लिये तथा अपीलान्ट का प्रकरण खारिज कर दिया। जो कानूनन गलत है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

विवादित आराजी नाथुसिंह जी की खरीदसुदा स्वअर्जित आराजी थी तथा उनकी मृत्यु के बाद द्वितीय सेटलमेन्ट के समय पुराने खसरा नम्बर 892 पुश्तैनी व पुराने खसरा नम्बर 893 को मैथी बाई के पति नाथुसिंह द्वारा खरीदसुदा स्व.अर्जित आराजी को बीघा विस्वा प्रणाली की जगह हैक्टयर प्रणाली में परिवर्तन करते समय अगर नाथु वल्द शंकर की समीया वल्द गेना कौम नाई से खरीदसुदा स्वअर्जित आराजी के खसरा नम्बर 893 एंवम शंकर वल्द रूगनाथ की मृत्यु उपरान्त पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर

29.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

892 को मिलाकर नवीन खसरा नम्बर 771 बनाये गये इसी कारण से गलत खसरा नम्बर 893 की खरीदसुदा भूमि को पुश्तैनी भूमि माने हुए वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किया जाना नियम विरूद्ध माना जो सरासर गलत है क्योंकि तहसीलदार महोदय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया की सेटलमेन्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा भूल किये जाने के कारण नाथुसिंह पुत्र शंकरसिंह के वर्ष 1984 में फौत होने के उपरान्त पटवारी हल्का आहोर ने उनके वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उनकी माता मैथीबाई के अलावा उनकी तीन पुत्रीयां सागर देवी, रतन देवी, शोभा देवी जो सन् 2007 तक जीवित थी तो नामांतरण संख्या 28 तारीख 01.08.1987 को गलत भरा गया जो तीनों पुत्रीयों केनाम न भर केवल अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व मेथी बाई के नाम नामन्तरण भरकर ग्राम पंचायत आहोर एंव सरकार को अन्धेरे में रखकर नामान्तरण स्वीकृत किया जा सरासर गलत था क्योंकि नाथुसिंह की मृत्यु के उपरान्त तीनों बेटियां जीवित थी। जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तीनो बहने नामान्तरण स्वीकृत के समय जीवित थी 2007 में फौत हुई है उक्त तथ्यो को इग्नोर कर निर्णय पारित करने में तहसीलदार महोदय ने भूल की है। अतः पारित निर्णय काबिल निरस्तनीय है।

राजस्व रेकर्ड संवत 2009 से 2021 तक में खसरा नम्बर 893 की आराजी समीया वल्द गैना के नाम दर्ज है। जिसे उक्त खसरे की भूमि को नाथु पुत्र शंकर द्वारा खरीद की गई एवम दिनांक 25.06.1963 को म्यूटेशन पारित करने बाबत् आदेश दिये गये एंवम नाथु पुत्र शंकर के नाम म्यूटेशन दर्ज हुआ यानिकि उक्त भूमि स्वअर्जित भूमि है एवम नाथु की मृत्यू के पश्चात उक्त भूमि अपीलान्ट की माता के हक हिस्से में आयी जिसकी वसीयत अपीलान्ट के हक में उसकी माता द्वारा की गई एवम खसरा नम्बर 892 की भूमि पुश्तैनी भूमि है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन खसरों की भूमि बाबत् गलत रूप से मत प्रतिपादित करते हुए उक्त सम्पूर्ण भूमि को पुश्तैनी भूमि मानते हुए जो आलोच्य आदेश में जो मत प्रतिपादित किया गया है जो पूर्ण रूप से गलत है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट की नियत में शुरू से ही नियत में बदनियती रही है रेस्पोडेन्ट स्वंय ने दिनांक 08.04.1993 को अपीलान्ट के हक में एक इकरारनामा भी निष्पादित किया था जो अपने हिस्से की भूमि को भी अपीलान्ट के हक में अपने अधिकार दे दिये थे वर्तमान में जमीनों की कीमतो में बढ़ोतरीहोने के कारण नियत में बदनियती आ गई एवम इसी के चलते एक इकरारनामें की भी खिलाफवर्जी की। अपीलान्ट के हक में वसीयत होने के बावजुद भी उराजे अधिकारों का कुठाराघात करते हुए कूटरचित एवम फर्जी हस्ताक्षर कर शपथपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये एवम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपना विधिक दायित्व निर्वहन नही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वास्तविक तथ्यों व परिस्थितियों से परे जाकर जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से विधि की मंशा के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय का मत की विवादित आराजी मैथी बाई को स्वअर्जित आराजी नही है जो गलत है। विवादित आराजी को लेकर नाथु सिंह की फौतगी के बाद अपीलान्ट रेस्पोडेन्टस व मैथी बाई के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ। मैथी बाई को अपने स्वतः की आराजी में आगे हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है तथा अपने अधिकार के रहते मैथी बाई ने अपने हक व अधिकार की आराजी अपीलान्ट के हक में वसीयत की

29.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

थी जो वसीयत वैध व सन्देह से परे है। वसीयत के आधार पर अपीलान्ट मैथी वाई के हिस्से की आराजी का नामान्तरण अपने हक में पारित करवाने के अधिकारी है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह मत पारित किया है कि नामान्तरण की कार्यवाही फिसकल कार्यवाही है। जिसमें किसी पक्ष के हक निर्धारित नहीं होते है गलत है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलान्ट का हक मैथी बाई द्वारा अपीलान्ट के हक में वसीयत करने व मैथी बाई की मृत्यु होते ही निर्धारित हो गये थे केवल मात्र उस वसीयत के आधार पर राजस्व रेकर्ड इन्द्राज करना शेष था अपीलथीनआदेश निरस्त किये जाने योग्य है। मेथी बाई को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था।

अपीलान्ट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस कथनों के साथ अपील प्रस्तुत की कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्टस के विरुद्ध निगरानी एलआर/6096/2013 जिला जालौर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में दिनांक 03.09.2015 की स्वीकार हुई जिस पर तहसीलदारआहोर को आदेश हुआ कि उभयपक्ष को वसीयत बावत् अपना पूर्ण पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार आहोर पुनः गुणावगुण पर उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु निगरानी स्वीकार की गई। तहसीलदार आहोर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2015 प्रकरण दर्ज कर बेबुनियादी आधारो पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण पारित नहीं कर प्रकरण दिनांक 19.12.2016 को खारिज कर दिया।

तहसीलदार आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपील भी दिनांक 26.10.2017 को खारिज कर दी।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2016 व 26.10.2017 को निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 893 रकबा 8 बीधा 19 बिस्वा में मैथी बाई द्वारा की गई वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के हक में आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे। अन्य कोई उचित आदेश जो अपीलाण्ट के पक्ष में पारित करना उचित समझे, पारित फरमायें।

6. पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि – माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के प्रकरण सं. निगरानी / एल.आर. /6096/2013/जालोर, तेजसिंह बनाम बाबूसिंह वगैराह में निर्णय दिनांक 3.9.2015 द्वारा इस प्रकरण में तहसीलदार आहोर को पुनः गुणावगुण आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिये जिस पर तहसीलदार आहोर ने नामान्तरकरण सुनवाई प्रकरण सं. 19/2015 तेजसिंह बनाम बाबूसिंह दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 29.12.2016 को निर्णय पारित कर प्रार्थी श्री तेजसिंह का प्रार्थनापत्र बाबत् वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण सुनवाई का अस्वीकार किया गया है जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी पक्ष के अधिकार निर्धारित नही होते

29.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

है। अधिकारों के निर्धारण के लिये पक्षकार सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकते है। अतः पक्षकार वसीयत से उत्पन्न अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। वसीयतनामें पर बतौर गवाह अशोकसिंह व मदनसिंह के हस्ताक्षर है। वसीयतनामा की पुष्टि के लिए किसी एक गवाह के बयान होना जरूरी है। तहसीलदार जालोर के निर्णय दिनांक 29.12.2016 अनुसार साक्षी नं.1 अशोकसिंह ने तहसीलदार आहोर के न्यायालय में दिनांक 20.11.15 के प्रस्तुत शपथपत्र में उसके सामने कोई वसीयत नही लिखना बताया है जिससे वसीयतनामा की पुष्टि नही होती है।

प्रकरण में मूल विषय यह है कि वसीयत की गई भूमि पैतृक अथवा स्वअर्जित। मौजा आहोर के खसरा नम्बर 771 रकबा 2.40 हेक्टर गत खसरा नम्बर 892 एवं 893 से बने है जो नाथू वल्द शंकर के नाम से थे। द्वितीय सैटलमेन्ट से उक्त खसरा नम्बरो से नया खसरा नम्बर 771 बना, तब भी नाथू वल्द शंकर के नाम से दर्ज था. नाथू के फौत होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों के रूप में उसके दोनो पुत्रों अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.1 तथा पत्नि मैथीबाई के नाम भूमि दर्ज हुई। इससे यह साबित होता हैं कि विवादित भूमि स्व. मैथीबाई का हक अधिकार स्वअर्जित नही होकर उत्तराधिकारी के रूप में था तथा जब भूमि स्वअर्जित नही थी तो फिर मैथीबाई को वसीयत करने का अधिकार नही था।

अतः तहसीलदार आहोर ने वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही अस्वीकार किया जो सही है । तहसीलदार के निर्णय दिनांक 29.12.2016 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अति जिला कलेक्टर, जालोर निर्णय दिनांक 26.10.2017 के द्वारा भी तहसीलदार आहोर द्वारा पारित निर्णय को सही माना है। तदनुसार अपील स्वीकार होने योग्य नही है।

अतः प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर के आदेश दिनांक 26.10.2017 (प्रकरण सं. 11/2017) विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

29.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।

29.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)



Scanned with OKEN Scanner